an>

Title: Need to give compensatory pay with arrears to Fire Brigade Non-Gazetted Employees in Andaman and Nicobar Group of Islands.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, वर्ष 1979 से वर्ष 2012 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 625 फायर ब्रिगेड नॉन गजटैड पर्सोनेल्स को एक माह का एक्स्ट्रा पे, मतलब कम्पेनसेटरी पे मिलता था। अचानक वर्ष 2013 से यह बंद कर दिया गया। अंडमान और निकोबार पुलिस मैनुअल के मुताबिक बाकी 9 यूनिट्स में ये कम्पेनसेटरी पे दिया जाता है। इस तरह का कम्पेनसेटरी पे जम्मू-कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली में दिया जाता है। चूंकि इनके पास कोई वीकली लीव नहीं है, पब्लिक हॉली-डे नहीं है। सप्ताह में करीब 84 घंटे इन्हें काम करना पडता है। बहुत से राज्यों में फायर ब्रिगेड पर्सोनेल्स को रिस्क एलाउंस दिया जाता है जबकि अंडमान फायर ब्रिगेड में यह एलाउंस नहीं मिलता है। इस कारण से यह दिया जाता था। अचानक इसे वर्ष 2013 से बंद कर दिया गया।

मैं अपनी सरकार और गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि 625 फायर ब्रिगेड नॉन गजटेड इम्प्लॉइज को एक माह का कम्पेनसेटरी पे तुरंत पिछले एरियर्स के साथ दिया जाए।